रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227783
CG-DL-E-22062021-227783

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943
No. 343] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2021

सा.का.नि. 431 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक (मुद्रण) और संयुक्त निदेशक (तकनीकी) भर्ती नियम, 2004 (जैसा 2005 में संशोधित) को उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसा किया गया है या करने का लोप किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मुद्रण निदेशालय में निदेशक (मुद्रण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, निदेशक (मुद्रण) भर्ती नियम, 2021 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसुची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं शैक्षणिक अर्हताएं आदि.—उक्त भर्ती की पद्धति, आयु सीमा शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह वहां, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें आदेश द्वारा तथा इसके कारणों को लिखित में लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती के लिए किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये विनिश्चयों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
निदेशक (मुद्रण)	01* (2021) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13-क (131100-216600/- रू)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं क्या प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं	लागू नहीं	सम्मिलित पद्धति द्वाराः पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि की संविदा सहित)

प्रोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामलो में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा**
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि की संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था/ विश्वविधालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठन के अन्तर्गत ऐसे अधिकारीः- **(क) (i)** मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों या **(ii)** मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13 रू 123100-215900 में नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो या समकक्ष । **(ख)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री तथा साथ में 12 वर्ष का अनुभव जिसमें मुद्रण मामलों का 2 वर्ष का अनुभव शामिल है। **वांछनीयः** **(i)** व्यवसाय प्रशासन निष्णात की डिग्री प्रशासन, वित्त, सतर्कता के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। **(ii)** श्रमिकों के साथ कार्य करने, विभिन्न अधिनियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम, कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम का ज्ञान । **टिप्पणी: (1)** ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 रू. 123100-215900 में विभागीय संयुक्त निदेशक जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव रखते हैं पर भी बाहर के उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा। यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार का चयन होता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा	**पदोन्नति के लिए समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति** (1) अध्यक्ष /सदस्य संघ लोक सेवा आयोग --अध्यक्ष (2) सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय --सदस्य (3) अपर अथवा संयुक्त सचिव (मुद्रण, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन प्रभाग के प्रभारी), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय --सदस्य	प्रत्येक अवसर पर इस पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है ।

हुआ माना जाएगा। **टिप्पणी: (2)** प्रतिनियुक्ति की अवधि (लधु अवधि की संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्नय पद पर प्रतिनियुक्ति (लधु अवधि की संविदा सहित) की अवधि शामिल है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी: (3)** प्रतिनियुक्ति (लधु अवधि की संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[मि. सं. ए-12018/2/2014-ए. II]

एस. के. राम, सयुंक्त सचिव (पी.एस.पी.)

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Directorate of Printing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2021

G.S.R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Directorate of Printing, Director of Printing and Joint Director (Technical), Recruitment Rules, 2004 as amended in 2005, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director of Printing in the Directorate of Printing, Ministry of Housing and Urban Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Directorate of Printing, Director of Printing, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale.—The number of said post, its classification, level in pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post: Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix or pay scale.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Director (Printing)	01* (2021) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13A in the pay matrix Rs. 131100-216600.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of Probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.**
7	**8**	**9**	**10**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Composite method: Promotion or Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.**
11	**12**	**13**
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territories Administrations or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Statutory organisations or autonomous bodies, - a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 13 in the pay matrix Rs. 123100-215900 or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) degree in printing technology from a recognized University or institute	**Group 'A' Departmental Promotion committee (for Considering promotion): -** (1) Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman (2) Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs -Member (3) Additional Secretary or Joint Secretary (in charge of Printing, Stationery and Publication wing), Ministry of Housing and Urban Affairs –Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

with twelve years experience including two years in printing matters. **Desirable:** Masters in Business Administration degree with at least 1 years experience in the field of Administration, Finance and Vigilance. Knowledge of labour handling, Factories Act, Workmanship Compensation Act. **Note 1**: The departmental Joint Director in Level 13 in the pay matrix Rs. 123100-215900 with two years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/2/2014-A. II]

S. K. RAM, Jt. Secy. (PSP)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.22 20:16:58 +05'30'